सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

आज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री दुर्गालाल बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा U/S 212 RTA. मु0न0 46 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील मे जारी हुए
20-6-19	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर एवं नोटिस जारी होकर दिनांक 27.08.19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	3571-72 21/6/19
22-7-19	वकील प्रार्थी द्वारा वास्ते अर्जेन्ट सुनवाई करने बाबत् प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रा.पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 30-07-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
30-07-19	वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थी का नोटिस तामील/ अदम तामील अप्राप्त है। इन्तजार है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी निर्देशपत्र पर बहस किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा.पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 13-08-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
13-8-19	वकील प्रार्थी उप.। पैरोकार सरकार उप.। प्रा.पत्र पर सुनी गई बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश पृथक से टाईप करवाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो॥ (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः– श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 46 सन् 2019

श्री दुर्गालाल पुत्र श्री केसरा आयु 65 साल जाति घोसी निवासी दुर्गा कॉलोनी भोमिया जी के थान के पास शोभापुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज.

.....प्रार्थी

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर राज0
2– राजस्थान सरकार श्रीमान् तहसीलदार साहब बजरिये लैण्ड होल्डर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज.

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 व सपठित धारा 151जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांकः– 13-08-19

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा शोभापुरा पटवार हल्का नून्द्री महेन्द्रातान तहसील ब्यावर में स्थित साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 05–19–00 हाल खसरा नंबर 23 रकबा 05–13–00 किस्म दांती एंव खसरा नंबर 30 रकबा 00–06–00 किस्म दांती स्थित है। उक्त साबिक खसरा नंबर 16 जिसका रकबा 05–09–00 है जो कि नियमन के समय दो खसरो में परिवर्तित हुआ एंव जिसकी नियमन करके खातेदारी दे दी गई है, जिसका नामान्तकरण संख्या 26 है, जो कि माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 21.07.1984 है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी के पिता केसरा जी का कब्जा काश्त चला आ रहा था एंव प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात आज दिन तक बेरोक टोक प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जबकि फेराफेरी गांव व चूंगी नाके के बाहर जमीन थी जो कि नगरपरिषद, ब्यावर की सीमा आज तक नही है। साबिक खसरा नंबर 16 प्रार्थी के पूर्वजो के समय से प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उक्त खसरा नंबर 16 हाल खसरा नंबर 23 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने पिता स्व0 श्री केसरा जी के समय से ही काफी पुराना चला आ रहा है, क्योकि खसरा नंबर 23 प्रार्थी के अन्य खातेदारी खेत खसरा नंबर 22, 24 व 15 के लगते ही स्थित कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के खातेदारी खेतो में आने जाने का रास्ता उक्त खसरा नंबर 23 में से होकर ही है। खसरा नंबर 23 की जमाबंदी में सरकारी खाते में अंकित चली आ रही है, जिसकी किस्म दांती है, लेकिन मौके पर खसरा नंबर 23 की किस्म बारानी है क्योकि प्रार्थी के पिता स्व0 श्री केसरा जी ने उक्त भूमि में से पत्थर खोद कर निकाले तथा मिट्टी व खाद डालकर उक्त आराजी को उपजाऊ बनाने में काफी श्रम व पैसा खर्च कर काबिल काश्त बनाया तथा उक्त भूमि की तरक्की में हजारो रूपये खर्च करके पाल डोल लगाई तथा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया तथा उक्त में काफी हरे पेड पोधे भी लगाये है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा संवत 2031 की खसरा गिरदावरी में प्रथम बार प्रार्थी का कब्जा काश्त अंकित किया गया है, इस प्रकार रेकार्ड से भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा गत 40–45 वर्षो से चला आना साबित होता है, तथा प्रार्थी के पिता स्व0 श्री केसरा जी के समय 60 साल से कब्जा चला आ रहा है। राजस्थान सरकार द्धारा पारित आदेश पर पारित नोटिफिकेशन के आधार पर भी उक्त आराजी को खातेदारी में अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने पूर्व में एक वाद अजनाम दुर्गालाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य का माननीय न्यायालय के समक्ष वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया था जिसे बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारीः— श्री जसमीतसिंह संधू (आई0ए0एस0)

———

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 46 सन् 2019

श्री दुर्गालाल पुत्र श्री केसरा आयु 65 साल जाति घोसी निवासी दुर्गा कॉलोनी भोमिया जी के थान के पास शोभापुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज.

.....प्रार्थी

ब ना म

1— राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर राज0

2— राजस्थान सरकार श्रीमान् तहसीलदार साहब बजरिये लैण्ड होल्डर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज.

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 व सपठित धारा 151जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांकः— 13-08-19

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा शोभापुरा पटवार हल्का नून्द्री महेन्द्रातान तहसील ब्यावर में स्थित साबिक खसरा नंबर 16 रकबा 05—19—00 हाल खसरा नंबर 23 रकबा 05—13—00 किस्म दांती एंव खसरा नंबर 30 रकबा 00—06—00 किस्म दांती स्थित है। उक्त साबिक खसरा नंबर 16 जिसका रकबा 05—09—00 है जो कि नियमन के समय दो खसरो में परिवर्तित हुआ एंव जिसकी नियमन करके खातेदारी दे दी गई है, जिसका नामान्तकरण संख्या 26 है, जो कि माननीय उपखण्ड अधिकारी के आदेशानुसार दिनांक 21.07.1984 है। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी के पिता केसरा जी का कब्जा काश्त चला आ रहा था एंव प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात आज दिन तक बेरोक टोक प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जबकि फेराफेरी गांव व चूंगी नाके के बाहर जमीन थी जो कि नगरपरिषद, ब्यावर की सीमा आज तक नही है। साबिक खसरा नंबर 16 प्रार्थी के पूर्वजो के समय से प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उक्त खसरा नंबर 16 हाल खसरा नंबर 23 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने पिता स्व0 श्री केसरा जी के समय से ही काफी पुराना चला आ रहा है, क्योकि खसरा नंबर 23 प्रार्थी के अन्य खातेदारी खेत खसरा नंबर 22, 24 व 15 के लगते ही स्थित कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा प्रार्थी के खातेदारी खेतो में आने जाने का रास्ता उक्त खसरा नंबर 23 में से होकर ही है। खसरा नंबर 23 की जमाबंदी में सरकारी खाते में अंकित चली आ रही है, जिसकी किस्म दांती है, लेकिन मौके पर खसरा नंबर 23 की किस्म बारानी है क्योकि प्रार्थी के पिता स्व0 श्री केसरा जी ने उक्त भूमि में से पत्थर खोद कर निकाले तथा मिट्टी व खाद डालकर उक्त आराजी को उपजाऊ बनाने में काफी श्रम व पैसा खर्च कर काबिल काश्त बनाया तथा उक्त भूमि की तरक्की में हजारो रूपये खर्च करके पाल डोल लगाई तथा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया तथा उक्त में काफी हरे पेड पोधे भी लगाये है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा संवत 2031 की खसरा गिरदावरी में प्रथम बार प्रार्थी का कब्जा काश्त अंकित किया गया है, इस प्रकार रेकार्ड से भी उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा गत 40—45 वर्षो से चला आना साबित होता है, तथा प्रार्थी के पिता स्व0 श्री केसरा जी के समय 60 साल से कब्जा चला आ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश पर पारित नोटिफिकेशन के आधार पर भी उक्त आराजी को खातेदारी में अंकित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने पूर्व में एक वाद अजनाम दुर्गालाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य का माननीय न्यायालय के समक्ष वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया था जिसे बाद सुनवाई माननीय न्यायालय ने

.....लगातार

(जसमीतसिंह संधू)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 14:49:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: